राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः–एफ 139( ) ले.ब./चुंगी/अनु. आव./2012–13 714 जयपुर, दिनांकः– 12.02.2013

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सं. 27/2012–13)

चुंगी अनुदान से मानदेय प्राप्त करने वाले अधिशेष चुंगी एवं सफाई कार्मिकों के माह दिसम्बर, 2012 से मार्च 2013 तक के मानेदय भुगतान हेतु संलग्न सारणीनुसार सम्बन्धित पंचायत समितियों के पी.डी. खाते में राशि रूपयें 98.10 लाख (अक्षरें रूपये अठानवें लाख दस हजार) मात्र हस्तान्तरित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार हैः–

मांग सं. 41

2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
198–ग्राम पंचायतों को सहायता
(02)–ग्राम पंचायतों को कर वसुली की एवज में अनुदान
[01]–संस्थापन
12–सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) आयोजना भिन्न **राशि रू. 98.10 लाख**

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या 331300046 दिनांक 17.01.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, वित्त (आय–व्ययक) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणीनुसार राशि रू. 98.10 लाख संबंधित पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में हस्तान्तरण के राज्यादेश शीघ्र जारी कराने का श्रम करावें।
2. महालेखकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. उपशासन सचिव (प्रशा–II) को भेजकर लेख है कि उक्त आवंटन उनकी प्राप्त अ.शा. टी0 क्रमांक 506 दिनांक 23.02.05 द्वारा प्राप्त कार्मिकों की सूची के अनुसार किया गया है।
5. विकास अधिकारी, (संबंधित पंचायत समिति) को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय आदेश क्रमांक 1348 दिनांक 11.04.11 के क्रम में अधिशेषे चुंगी कार्मिको का मानदेय राशि रू. 135/– प्रति दिवस की दर से अधिकतम राशि रू. 3510/– प्रतिमाह के आधार पर गणना कर आवंटित की गयी है। जो चुंगी कार्मिक 1.8.98 से अब तक लगातार कार्यरत हैं एवं जिनका अनुमोदन अभी तक नहीं हुआ है उन कार्मिको की सूचनाओं का अनुमोदन विभाग के आदेश क्रमांक 2087 दि. 01.07.11 के अनुसार करने की पश्चात ही 3510/– प्रति माह की दर से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। सफाई कार्मिक की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं। जिन ग्राम पंचायतों में कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है उनको किसी भी प्रकार की राशि का आवंटन नहीं किया गया है।
6. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बन्धित।
7. प्रोगामर (मुख्यालय) को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
8. सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन/भुगतान/रक्षित पत्रांवली।

वित्तीय सलाहकार